Supportive Supervision Vehicle Hiring- Block wise Information 2019-20 Distt.- Siddharthnagar

S.No.	Name of Divison	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Basti	Siddharthnagar	Uska Bazar	UP 51 AT 0574	01-04-2019	Single venderImpenaled durning tender of all vehicle in year of 2018-19 for District & Agreement of two year by CMO (Agreement copy attached)
2			Naugrh	UP 55 Q 4749	01-04-2019	
3			Jogia	UP 55 P 9666	01-04-2019	
4			Birdpur	UP 55 Y 2265	01-04-2019	
5			Badhni	UP 55 T 5353	01-04-2019	
6			Shoharatgarh	UP 30 Z 3031	01-04-2019	
7			Itwa	UP 32 FN 1454	01-04-2019	
8			Bhanwapur	UP 32 JW 4025	01-04-2019	
9			Dumariyaganj	UP 51 AT 0137	01-04-2019	
10			Mithwal	UP 55 T 7478	01-04-2019	
11			Khuniyaw	UP 32 FN 5523	01-04-2019	
12			Bansi	UP 53 BW 8935	01-04-2019	
13			Khesraha	UP 32 JN 0181	01-04-2019	
14			Lotan	UP 55 T 7846	01-04-2019	

Supportive Supervision Vehicle Hiring- District Level Information 2018-19

S.No.	Name of District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle No. 1	Date of Hiring	Vehicle No. 2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Siddharthnagar	Dr. V. P. Sharma Ex CMO Siddharthnagar	UP 55 R 3936	01-04-2019	UP 55 T 6529	01-04-2019	Attached

CMO
Siddharthnagar

Chief Medical Officer
Siddharth Nagar

ɔortive Supervision vehicle Hiring (Block wise) information 2019-20 (Updated on 15.07.2019)

Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehical Alloted	Vehical Status	Vehicle Status
Siddharth Nagar	Uska Bazar	UP 51 AT 0574	01-04-2019	14	14	Motor Cab
	Naugrh	UP 55 Q 4749	01-04-2019			Motor Cab
	Jogia	UP 55 P 9666	01-04-2019			Motor Cab
	Birdpur	UP 55 Y 2265	01-04-2019			Motor Cab
	Badhni	UP 55 T 5353	01-04-2019			Motor Cab
	Shoharatgarh	UP 30 Z 3031	01-04-2019			Motor Cab
	Itwa	UP 32 FN 1454	01-04-2019			Motor Cab
	Bhanwapur	UP 32 JW 4025	01-04-2019			Motor Cab
	Dumariyaganj	UP 51 AT 0137	01-04-2019			Motor Cab
	Mithwal	UP 55 T 7478	01-04-2019			Motor Cab
	Khuniyaw	UP 32 FN 5523	01-04-2019			Motor Cab
	Bansi	UP 53 BW 8935	01-04-2019			Motor Cab
	Khesraha	UP 32 JN 0181	01-04-2019			Motor Cab
	Lotan	UP 55 T 7846	01-04-2019			Motor Cab

Chief Medical Officer
Siddharth Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

अनुबन्ध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ...ारी सिद्धार्थनगर।

द्वितीय पक्षकार–सिंह ट्रेवल्स एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर्स परसा महापात्र पोस्ट तेतरी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

EE 907871

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य सोसाईटी सिद्धार्थनगर. द्वारा एन0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0बी0एस0के0 एव मानीटरिंग सुपरवीजन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु में आज दिनांक 19.06.2018..को जनपद सिद्धार्थनगर में सम्पादित किया गया । इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 31 मार्च 2019 तक अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में वर्ष 2019–2020 तक बढ़ाया जा सकता है जो स्वीकृत की गयी निविदा में निहित शर्तो के अनुसार होगी। द्वितीय पक्षकार जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य/प्रास्वा0केन्द्रों पर मानीटरिंग सुपरबीजन व चिन्हित सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर आर0बी0एस0के0 तथा जिला मुख्यालय पर सचालित होने वाले मानीटरिंग सुपरवीजन के अन्तर्गत वाहन संचालन हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

1\. सेवा प्रदाता प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित आरबीएस0के0 एंव मानीटरिंग सुपरवीजन हेतु 29700-00 –00 प्रतिवाहन प्रतिमाह पर प्रतिमाह किराये दर पर उपलब्ध करायेगा तथा वाहनों का संचालन माह में 25 दिन अनिवार्य होगा।

2\. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए।

क–वाहन पंजीकृत होना चाहिए तथा वाहन चालक के पास वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना आनिवार्य होगा।

ख–वाहन में प्रेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।

ग– दुर्घटना होने पर वाहन एंव लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार क्षति एंवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कम्प्रहेन्सिव इन्श्योरेश के तहत मिलेगी।

3\. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन विशेष परिस्थितियों में ही परिवर्तनीय होगें तथा वाहन का पूर्ण बीमा पंजीय एंव फिटनेस प्रमाण पत्र,टेक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है।

4\. वाहन के संचालन एंव रखरखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क टोलटेक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5\. वाहन को 24 घन्टे चालू हालत में रखने एंव वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति मे द्वितीय पक्षकार को अन्य

Inderdev Singh
18/6/18

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सिद्धार्थनगर

वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।द्वितीय पक्षकांर द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 1000 –00 प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

6 द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रूपया 1,20,000=00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 आदि के रूप में जमा करना होगा जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुवन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार, द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

6 एन0एच0एम0 कार्यकमण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नं0 सामुदायिक/प्रा0स्वा0केन्द्र पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

7 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एंव वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निदेशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे,ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

8 द्वितीय पक्ष को आबंटित इकाई पर प्रतिदिन 08 घंटें तक अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यतानुसार रात्रि/दिन में कभी भी उपलब्ध करायेगा तथा आर0बी0एस0के0 योजना के अन्तर्गत वाहन का संचालन प्रतिमाह 1000 किमी तथा मानीटरिंग सुपरवीजन कार्यकम में प्रतिवाहन प्रतिमाह 1500 किमी संचालित होगा इससे कम संचालन होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान किया जायेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

9 द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक का बीजक लागवुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिसवस तक अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10 वाहन की छोटी मोटी टूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी वडी टूट फूट भी 24 घन्टे में सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन का संचालन सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एजेन्सी को वाहन परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर नवीन वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

11 अनुवन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल जनपद सिद्धार्थनगर के न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

12 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा किवह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एव स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा,तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

13. टेक्सी परमिट वाहन का मेक माडल वर्ष 2014 से पूर्व का नहीं होगा तथा सभी टेक्सी वाहन सेडान होगे। भुगतान के उपरान्त किसी प्रकार के टेक्स आदि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।

14 उक्त अनुवन्ध मात्र 31 मार्च,2019 होगी के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्य सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में वर्ष 2019–2020 तक अनुबंध बढाया जा सकता है जो स्वीकृत की गयी निविदा में निहित शर्तो के अनुसार होगी।

स्थान सिद्धार्थनगर

दिनांक 18जून 2018

Inderdev Singh

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर का
नाम व पता सहित

इन्द्रदेव सिंह S/o [illegible]
ग्रा०-व पो०- [illegible]
तह० - [illegible]
जि० - सिद्धार्थनगर

प्रथम पक्ष की हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सिद्धार्थनगर